पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 74/2026

1 रूपराम पुत्र बलराम जाति जाट निवासी 3 जी. जी.आर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भागवन्ती पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी 3 जी.जी.आर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. प्रवीण पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी 3 जी. जी.आर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. अल्का पुत्री रूपराम पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी निर्वाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जे0एन0शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– प्रतिवादीया स. 1 के नाम दर्ज चक 3 जी. जी. आर जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता सव 209/166 में दर्ज 4.3030 हे. आराजी में 107/331 हिस्सा आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 3 जी.जी.आर जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 209/166 में दर्ज प्रतिवादीया स0 1 भागवन्ती पत्नी रूपराम का नाम कलमजन किये जाने के ओदश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with OKEN Scanner